# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर (हनुमानगढ़)

(पीठासीन अधिकारी गुंजन सोनी आर.ए.एस.)

अपील प्र0 सं0 31/2018

कमलादेवी पत्नी देवीसिंह जाति राजपूत साकिन नोहर तहसील नोहर जिला हनुमागनढ़।

– अपीलांट

बनाम्

1. द्रोपति कंवर पत्नी लाधुसिंह वल्द हनुमानसिंह साकिन नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– रेस्पोडेन्टस्

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार (राजस्व) दिनांक 30.04.2008 इंतकला संख्या 543 रोही मौजा ग्राम चक देईदासपुरा।

उपस्थितिः– श्री हवासिंह पुनियां अधिवक्ता, अपीलांट

श्री आनन्द उपाध्याय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट

**निर्णय** दिनांक : **03.03.2021**

संक्षेप में अपील अपीलांट की ओर से निम्न प्रकार से हैं :–

1. अपील कृत निर्णय विधि विरूद्ध तथ्यों के विपरित एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने कि वजह से निरस्त योग्य है।

2. रोही मौजा चक देईदासपुरा तहसील नोहर के खसरा न0 157/2 की 5.880 हैक्ट. भूमि में से अपीलांट ने जरिये बैयनामा दिनांक 31.12.2007 को रेस्पोडेंट न0 1 से 1.5383 हैक्ट. भूमि खरीद की थी। लेकिन इन्तकाल संख्या 543 रोही मौजा ग्राम चक देईदासपुरा 1.5383 हैक्ट की बजाय 1.440 हैक्ट भूमि का तस्दीक किया गया है जो कि बैयनामा से कम भूमि का है उक्त कार्यवाही राजस्व कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा साजिसाना की गई है जो विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है।

3. मातहत अदालत ने निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवायी का कोई अवसर नही दिया ना ही कोई नोटिस जारी किया कानूनन प्रभावी पक्षकार को सुनवायी का अवसर दिया जाना चाहिए था जबकि मातहत अदालत ने ऐसा कुछ भी नहीं किया इसलिए मातहत अदालत का निर्णय निरस्त योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Web Copy - Not Official

मातहत अदालत ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को कोई अवलोकन नही किया सिर्फ जल्दबाजी में रिकॉर्ड को अनदेखा कर निर्णय पारित किया है जो कि किसी प्रकार चलने योग्य नहीं होने के कारण निरस्त योग्य है।

5 .मातहत अदालत ने मुताबिक बैयनामा इंतकाल दर्ज नही किया है इसलिए मातहत अदालत का निर्णय स्वैच्छाचारी मनमाना एवं कानून सम्मत नहीं है जो निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है इसलिए निरस्त योग्य है।

6. मातहत अदालत का निर्णय स्पीकिंग ऑर्डर नहीं है जो निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है इसलिए मातहत अदालत का निर्णय निरस्त योग्य है।

7. अपीलांट ने हल्का पटवारी से कल प्राप्त की तब जानकारी हुई की बैयनामा से 0.0983 हैक्ट भूमि जमाबंदी में कम दर्ज है तब इंतकाल की नकल 17.09.2018 को प्राप्त हुई, जानकारी होते ही तुरन्त निर्णय के खिलाफ अपील पेश की जा रही है जो ज्ञान से अन्दर मियाद है।

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार कर इंतकाल संख्या 543 रोही मौजा ग्राम चक देईदासपुरा तहसील नोहर निर्णय दिनांक 30.04.2008 निरस्त कर मुताबिक बैयनामा दिनांक 31.12.2007 के आधार पर 1.5383 हैक्ट. भूमि का अपीलांट के नाम इन्तकाल दर्ज करने के आदेश फरमावें।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थी की तलबी की गई। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मिमो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की चक देईदासपुरा ख.न. 157/2 की 5.8880 हैक्टर भूमि में से जरिये बैयनामा दिनांक 31.12.2007 को रेस्पोडेंट न0 1 से 1.5383 हैक्ट. भूमि खरीद की थी। लेकिन इन्तकाल संख्या 543 रोही मौजा ग्राम चक देईदासपुरा 1.5383 हैक्ट की बजाय 1.440 हैक्ट भूमि का तस्दीक किया गया है जो कि बैयनामा से कम भूमि का है।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने मैरिट के आधार पर निर्णय पारित करने का निवेदन किया ।

बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न बैयनाम की चित्रप्रति से स्पष्ट है कि खसरा न. 157/2 की 5.880 भूमि में से 1.5383 हैक्ट भूमि अपीलांट ने रेस्पो स. 1 से क्रय की है। पत्रावली में संलग्न प्रमाणित जमाबंदी की प्रति के अवलोकन से पाया की दिनांक 30.04.2008 को स्वीकृत इंतकाल में 1.5383 की जगह 1.440 हैक्ट भूमि दर्ज है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 30.04.2008 जिसमें

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

इ[illegible]ल संख्या 543 रोही मौजा ग्राम चक देईदासपुरा को तस्दीक करने में विधिवत भूल की है।

अत : अपील अपीलांट स्वीकार करते हुए तहसीलदार (भू.अ.) नोहर को आदेशित किया जाता है कि विक्रय दस्तावेज व भू अभिलेख में अंकित रकबे की जांच कर नामान्तरण तस्दीक करें।

अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 03.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. गुंजन सोनी आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ)

जिला ... नोहर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official